सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, बिहार
प्रेस विज्ञप्ति

संख्या– 513
10/07/2017

लोक सूचना पदाधिकारी–सह–पंचायत सचिव को आर्थिक दण्ड

पटना–10 जुलाई, 2017 :– राज्य सूचना आयोग से प्राप्त जानकारी के अनुसार राज्य सूचना आयुक्त श्री बी0के0 वर्मा ने लोक सूचना पदाधिकारी–सह– पंचायत सचिव, धर्मपुर रामराय देसरी, जिला– वैशाली को आर्थिक दण्ड लगाने का निर्णय लिया है।

प्राप्त जानकारी के अनुसार राज्य सूचना आयुक्त ने वाद सं0–82912/12–13 आवेदक श्री चितरंजन कुमार के मामले में लोक सूचना पदाधिकारी–सह– पंचायत सचिव, को दि0 11.03. 2016 से दिनांक–12.04.2017 तक के बीच आवेदक को सूचना नहीं देने आयोग के आदेश की अवहेलना करने आयोग द्वारा मांगे गए स्पष्टीकरण का जबाव नहीं देने के एवज में कुल 25000 (पचीस हजार)रुपये का आर्थिक दण्ड निर्धारित किया है। साथ ही फैसले की कॉपी जिलापदाधिकारी/ कोषागार पदाधिकारी वैशाली, को इस आशय के साथ प्रेषित की है कि वे दण्ड की राशि की कटौती कर इस आशय की सूचना से आयोग कार्यालय को भी अवगत करायें।

ज्ञातव्य हे कि इस मामले की अगली सुनवाई दिनांक 9 अगस्त 2017 को ढाई बजे अपराह्न आयोग कार्यालय में होगी।

******